**श्री हेमन्त सोरेन**
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

झारखण्ड सरकार

**डॉ. रामेश्वर उराँव**
वित्त मंत्री

# डॉ. रामेश्वर उराँव

## वित्त मंत्री

## का

# बजट अभिभाषण

**राँची, दिनांक 03 मार्च, 2020**

झारखण्ड सरकार

# डॉ. रामेश्वर उराँव

**वित्त मंत्री**

**का**

# बजट अभिभाषण

**राँची, दिनांक 03 मार्च, 2020**

**अध्यक्ष महोदय,**

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2020–21 की आय–व्ययक विवरणी इस गरिमामय सदन के पटल पर रखने हेतु खड़ा हुआ हूँ। यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपके प्रति, सदन के प्रति तथा झारखण्ड की समस्त जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

2. **अध्यक्ष महोदय,** मैं इस सदन के माध्यम से राज्य के उन सपूतों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस राज्य के निर्माण के लिए अपने को न केवल मिटा दिया, बल्कि अनवरत राज्य हित में जुटे रहे। ऐसे प्रातः स्मरणीय हमारे क्रान्तिकारी पुरखों में बिरसा मुण्डा, सिद्धो–कान्हू, चाँद, भैरव, बीर बुधु भगत, नीलाम्बर, पीताम्बर, तेलंगा खड़िया, जतरा टाना भगत, पाण्डे गणपत राय, तिलका मांझी, शेख भिखारी को पुनः स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

3. **अध्यक्ष महोदय,** मुझे गर्व है– झारखण्ड के उन वीर सपूतों पर, जिन्होंने यहाँ जन्म लेकर न केवल इस धरा को धन्य किया, वरन् देश की आजादी की रक्षा के लिए सरहदों पर दुश्मनों से लड़ते–लड़ते अपना जीवन न्योछावर कर दिया। परमवीर अलबर्ट एक्का के प्रति भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरा नमन उन सारे वीरों के प्रति भी है, जिन्होंने अलबर्ट एक्का जैसे वीरों की विरासत को जीवन्त रखते हुए आजादी की मशाल को प्रज्ज्वलित रखा और देश की रक्षा करते हुए सीमा पर शहीद हो गये।

''आज तिरंगा फहराता है, अपनी पूरी शान से,
हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से।
आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी,
लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी।''

4. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड की जनता ने जिस उमंग और उत्साह से इस बार हमें **सरकार** बनाने का मौका दिया है, मैं अपने अंतःकरण से उन्हें धन्यवाद देते हुए यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपकी अभिलाषा और आकांक्षा को मूर्त रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अपनी पूरी क्षमता से राज्य के कल्याण के लिए कार्य करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी न केवल संतुष्ट होंगे, बल्कि विकास के एक नये क्षितिज का निर्माण भी देखेंगे।

5. माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार की दृष्टि में समाज का अंतिम व्यक्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।

6. माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि के अनुरूप खनन के स्थान पर पर्यटन के रास्ते से सरकार राज्य के विकास में संभावनाओं को तलाशेगी। हम यह दृढ़तापूर्वक कहना चाहेंगे, सरकार संरचना नहीं बल्कि व्यक्ति–विकास आधारित नीति पर काम करेगी।

7. **अध्यक्ष महोदय,** इस अवसर पर मैं आश्वस्त हूँ कि सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, इस सदन के प्रति अपनी जिम्मेवारी एवं राज्य की जनता के प्रति अपने कर्त्तव्यों के प्रति सचेत हैं और जवाबदेही पूर्वक राज्य की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे।

इस परिप्रेक्ष्य में मुझे दो पंक्तियाँ याद आती हैं, कि –

अपना गम ले के कहीं और न जाया जाए।
चलो, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए।।

8. राज्य के विकास में समाज के अत्यन्त जरूरत मंद लोगों तक मदद पहुँचाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष का बजट इस आस के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि

राज्य के सभी नागरिकों तक सुविधायें पहुँचायी जा सकें और कोई यह न कह सके कि–

ऊँची इमारतों में मकाँ मेरा घिर गया।
कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए।।

9. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट 86,370 करोड़ रुपये का अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 73,315.94 करोड़ रुपये एवं पूँजीगत व्यय के लिए 13,054.06 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

10. बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाये, तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 25,047.43 करोड़ रुपये, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 32,167.58 करोड़ रुपये तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 29,154.99 करोड़ रुपये उपबंधित किये गये हैं।

11. बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 21,669.50 करोड़ रुपये तथा गैर कर राजस्व से 11,820.34 करोड़ रुपये, केन्द्रीय सहायता से 15,839 करोड़ रुपये, केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 25,979.91 करोड़ रुपये, लोक ऋण से करीब 11,000 करोड़ रुपये एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 61.25 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

12. **अध्यक्ष महोदय,** अब मैं सदन को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना चाहूँगा। वित्तीय वर्ष 2014–15 में विकास दर 12.5% थी तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 की अवधि में राज्य की औसत वार्षिक विकास दर करीब 5.7% रही। वर्त्तमान वर्ष में यह 7.2% रहने का अनुमान है।

13. प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर चालू वित्तीय वर्ष में 65,802 रुपये अनुमानित है, जो गत वर्ष 62,345 रुपये थी, जो 5.5% की विकास दर परिलक्षित करती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्थिर मूल्य पर GSDP विकास दर 8% तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

14. वित्तीय वर्ष 2020–21 में 10.17 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्त्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 92,094 रुपये होने का आकलन है, जो वित्तीय वर्ष 2019–20 में 83,592 रुपये एवं 2018–19 में 76,019 रुपये थी।

15. आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजकोषीय घाटा 8,243.04 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित GSDP का 2.15 प्रतिशत है।

16. **अध्यक्ष महोदय,** सदन के सहयोग से राज्य के विकास रथ को आगे ले जाने के लिए मैं वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट में विभिन्न प्रक्षेत्रों में सरकार द्वारा तैयार किये गये महत्वपूर्ण प्रस्तावों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करता हूँ :–

## कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र

17. **अध्यक्ष महोदय,** हमारे राज्य की 75 प्रतिशत की आबादी कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र पर निर्भर है। इस प्रक्षेत्र से जुड़े लोगों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। ऋण के बोझ से दबे किसान, जिनकी आय का एक बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में ही चला जाता है, के लिए राज्य सरकार ने **अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना** शुरू करने का निर्णय लिया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में इसमें राशि 2,000 करोड़ रुपये (दो हजार करोड़ रुपये) का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

18. धान की उत्पादकता (पैदावार) को बढ़ावा देने एवं किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व वाली हमारी

सरकार ने धान उपार्जन के तहत **धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नाम की एक नई योजना** शुरू करने का निर्णय लिया है। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल राशि 200 करोड़ रुपये (दो सौ करोड़ रुपये) का बजट उपबंध किया गया है।

19. कृषकों/महिला स्वयं सहायता समूहों आदि को कृषि यंत्र के वितरण की योजना चल रही है। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में राशि 50 करोड़ रुपये (पचास करोड़ रुपये) का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है। इस योजना में संचित जल का उपयोग सिंचाई कार्य में करने हेतु पम्प सेट, एच०डी०पी०ई० पाईप के साथ अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

20. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए वर्ष 2020 के खरीफ मौसम से झारखण्ड राज्य किसान राहत कोष सृजित करने की योजना है, जिस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में 100 करोड़ रुपये (एक सौ करोड़ रुपये) का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

21. कृषि उत्पाद के बेहतर रख–रखाव हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में बड़े आकार एवं अधिक क्षमता वाले मॉडल बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में 30 करोड़ रुपये (तीस करोड़ रुपये) से दो शीत–गृह बनाना प्रस्तावित है।

22. पशुओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर राज्य में एम्बुलेंस सुविधा के साथ **उन्नत डायग्नोस्टिक एवं अन्य परीक्षण प्रयोगशाला का अधिष्ठापन करने की नई योजना** प्रारम्भ की जायेगी। साथ ही मोबाईल पशु चिकित्सा क्लीनिक शुरू करने का भी प्रस्ताव है। महिलाओं के आर्थिक उन्नयन हेतु 90 प्रतिशत अनुदान पर दुधारू गाय वितरण योजना को अब APL परिवारों से भी जोड़ा जायेगा। कामधेनु डेयरी, फार्मिंग योजना के तहत प्रगतिशील दुग्ध उत्पादक परिवारों को आर्थिक

सहायता प्रदान करने, अनुदानित दरों पर चारा काटने की मशीन एवं संतुलित पशु आहार उपलब्ध कराने की योजना है।

23. मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु नयी हैचरियों के निर्माण एवं मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण दिये जाने का भी प्रस्ताव है। इस प्रक्षेत्र में इच्छुक लोगों को प्रशिक्षण के साथ–साथ मत्स्य विपणन योजना के तहत स्टॉल ऑटो रिक्शा, मोबाईल रिटेल किओस्क अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने की योजना है। वर्ष 2020–21 में 2.35 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

## सिंचाई प्रक्षेत्र

24. **अध्यक्ष महोदय,** देवघर जिला में **पुनासी जलाशय योजना** के मिट्टी बाँध का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। मुख्य नहर जिसकी लम्बाई 72 कि०मी० है, में 51 कि०मी० पूर्ण है। योजना के शेष कार्य मुख्य रूप से स्पीलवे एवं वितरणियों का कार्य तथा शाखा नहर का कार्य भी प्रारम्भ कर वर्ष 2021–22 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

25. साहेबगंज जिलान्तर्गत निर्माणाधीन गुमानी बराज परियोजना के Afflux बाँध तथा बचे हुए नहर कार्यों को पूर्ण कराकर आगामी वर्ष में इससे भी सिंचाई प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है।

26. रख–रखाव तथा मरम्मत के अभाव में राज्य की कुल 102 पुरानी वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं की सिंचाई क्षमता में लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट आई है। सभी **पुरानी सिंचाई योजनाओं** से सृजित क्षमता के अनुसार सिंचाई प्राप्त करने हेतु इनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत चल रही 66 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिसे आगामी वर्ष में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

27. राज्य में छोटे–छोटे नदी–नालों के प्रवाह को चेकडैम के माध्यम से रोककर ऐसे संचयित जल को सिंचाई के साथ–साथ अन्य दैनिक जल की आवश्यकता हेतु

उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए राज्य भर में पूर्व से कार्यान्वित 300 चेकडैम योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य आगामी वित्तीय वर्ष में रखा गया है।

28. रख–रखाव के अभाव में पूर्व निर्मित आहर, तालाब, मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से निर्मित जलाशय के क्षेत्रफल एवं उनकी जलग्रहण क्षमता में विगत वर्षों में काफी कमी आई है। अतः पूर्व से स्वीकृत योजनाओं में से लगभग 50 मध्यम सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

## ग्रामीण विकास

29. **अध्यक्ष महोदय,** प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत किये जाने वाले आवासों के लिए राज्य सरकार के द्वारा अपने कोष से 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रत्येक लाभुक को दिये जाने का प्रस्ताव है। साथ ही लाभुकों को झारखण्ड की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए स्थानीय तरीके से घर बनाने की छूट दी जायेगी।

30. प्रतीक्षा सूची से छूटे लाभुकों के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर आवास योजना के तहत 5,000 आवास बनाये जायेंगे। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में 4,199 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है।

31. मनरेगा के अन्तर्गत "UNNATI" परियोजना को माह दिसम्बर, 2019 से प्रारंभ किया गया है। वैसे परिवार जिन्होंने मनरेगा अन्तर्गत 100 दिन का कार्य पिछले वित्तीय वर्ष में पूरा किया है, उन परिवारों के एक वयस्क सदस्य (जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष है) को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। मनरेगा योजना का अन्य विभागों के साथ अभिषरण (Convergence) किया जायेगा एवं गुणवत्तापूर्ण परिसम्पतियों का निर्माण राज्य सरकार का मुख्य फोकस होगा।

32. वित्तीय वर्ष 2020–21 में 50 प्रखण्डों में Cluster Facilitation Team (CFT) परियोजना का क्रियान्वयन भी किया जायेगा। इससे बड़े पैमाने पर मनरेगा की निधि से जलछाजन सिद्धान्त पर कार्य कर ग्रामीणों को कृषि आधारित आजीविका से जोड़ा जायेगा।

33. **आजीविका संवर्धन** हेतु धान की खेती, बकरी पालन, वनोपज मुर्गीपालन, सब्जी की उन्नत खेती एवं औषधीय पौधों के उत्पादन जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वर्ष 2020–21 में लगभग 01 लाख और परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

34. आगामी वित्तीय वर्ष में झारखण्ड जलछाजन योजना (JJY) के अंतर्गत 1.50 लाख हेक्टेयर भूमि का Treatment किया जायेगा, जिसके अंतर्गत कुल 30 प्रखण्डों में 141 ग्राम पंचायत तथा 744 ग्राम सम्मिलित हैं, जिसकी परियोजना लागत 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 300 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

35. राज्य योजना से वित्त पोषित **जोहार परियोजना** के तहत अबतक कुल 3,423 उत्पादक समूह का निर्माण किया जा चुका है तथा इस योजना को आगामी वित्तीय वर्ष में जारी रखते हुए लगभग 50,000 अतिरिक्त परिवारों को आजीविका से जोड़ा जायेगा।

36. राज्य योजना वित्त पोषित जापान इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेन्सी (JICA) के माध्यम से माइक्रो ड्रिप सिंचाई योजना द्वारा बागवानी के प्रोत्साहन की योजना चलायी जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण, टपक सिंचाई उपकरण, विपणन सहायता इत्यादि प्रदान कर 30 प्रखण्डों में कुल 45,000 लाभुकों की आय में वृद्धि की जायेगी। इसके लिए 04 करोड़ रुपये की राशि का व्यय प्रस्तावित है।

## योजना–सह–वित्त

37. **अध्यक्ष महोदय,** योजना–सह–वित्त विभाग के द्वारा जिला योजना अनाबद्ध निधि के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में 60 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

38. राज्य के विभिन्न जिलों में सरकार द्वारा बनायी गयी विभिन्न आधारभूत संरचनाओं की पहचान करने तथा विकास के विभिन्न मानकों में राज्य के जिलों की परस्पर स्थिति के आकलन के लिए Village Mapping of Infrastructure and Social Indices के मद में आगामी वित्तीय वर्ष में 05 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिसे Jharkhand State Application Centre के सहयोग से कार्य कराने का प्रस्ताव है।

## स्कूली शिक्षा

39. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (universalisation) के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है।

40. अब मुख्य चिन्ता वर्त्तमान में गुणवत्त शिक्षा को शत–प्रतिशत सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठायेगी।

41. एस०डी०जी० लक्ष्य के अन्तर्गत शत्–प्रतिशत साक्षरता एवं माध्यमिक शिक्षा का Universalisation करने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्धारित है। हम इस लक्ष्य को वर्ष 2024 तक हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं।

42. **मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ 30 (तीस) करोड़ रुपये के बजटीय उपबंध से किया जा रहा** है। माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रस्तावित यह एक नई योजना है, जिसके माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा–1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

43. प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय को उत्कृष्ट कोटि की आधारभूत संरचना, लैब, पुस्तकालय, डिजिटल वर्गकक्ष, पर्याप्त कम्प्यूटर तथा गुणत्तापूर्ण विषयवार शिक्षकों को उपलब्ध कराकर गुणवत्त शिक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य सरकार विचार कर रही है, इस कार्य हेतु 240 करोड़ रुपये के बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

44. राज्य सरकार पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान एवं उन्हें नियमित मानदेय सुनिश्चित कराने हेतु कुल 1,660.77 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है।

45. मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइया–सह–सहायिका के **मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि** किये जाने का प्रस्ताव है, जिससे अब उन्हें मानदेय के रूप में 2,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस पर 41 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

46. आगामी वित्तीय वर्ष में 15 झारखण्ड आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण कराते हुए इनमें पठन–पाठन का कार्य आरम्भ किया जायेगा। इसपर 65 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

47. गुणवत्त शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने में डिजिटल शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है। डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए 100 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध कर लगभग 2,500 विद्यालयों को आच्छादित करने का प्रस्ताव है।

48. कक्षा 9 से 12 की लगभग 3.50 (साढ़े तीन) लाख बालिकाओं को पुस्तक एवं पोशाक मद में पूर्व की लगभग 1,500 रुपये प्रति छात्रा की दर को बढ़ाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में 2,700 रुपये प्रति छात्रा निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 100 (सौ) करोड़ रुपये का व्यय उपबंधित है।

49. आकांक्षा योजना के तहत JEE एवं Medical Exam के लिए मुफ्त कोचिंग चलायी जा रही है, जिसमें प्रतिवर्ष 80 विद्यार्थियों का नामांकन किया जाता रहा है।

आगामी वित्तीय वर्ष से 240 विद्यार्थी प्रतिवर्ष का नामांकन प्रस्तावित है। यह नामांकन मेरिट आधारित होगा।

## उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

50. **अध्यक्ष महोदय,** माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य में जनजातीय भाषा की समृद्धि एवं उत्तरोत्तर विकास के लिए **जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना** करने का निर्णय लिया है।

51. UGC Regulation, 2018 को लागू किया जायेगा। साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों से संबंधित मामले यथा– सातवां वेतन आयोग (वेतन, भत्ता एवं पेंशन), प्रोन्नति संबंधी मामले एवं स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति के मामलों का निष्पादन किये जाने का प्रस्ताव है।

52. राज्य में उच्चतर शिक्षा को और व्यापक बनाने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में झारखण्ड खुला विश्वविद्यालय (Jharkhand Open University) की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है, ताकि राज्य के सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा की पहुँच संभव हो सके।

53. Jharkhand Education Grid (JEG) योजना के तहत Jharkhand Center for Digital Learning (JCDL) के एक नये विचार की अवधारणा की गई है, जिसके तहत Technology Augmented Learning एवं Course Management की व्यवस्था की जायेगी।

54. Chancellor Portal को अपग्रेड करते हुए इसे Integrated University Management Platform के रूप में विकसित किया जायेगा।

55. वित्तीय वर्ष 2020–21 में सभी सम्बद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को NAAC (National Assessment and Accreditation Council) से प्रमाणीकृत करा लिया जायेगा।

56. अभियंत्रण महाविद्यालय के शिक्षण संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

57. **अध्यक्ष महोदय,** महिला सशक्तिकरण के तहत राज्य की छात्राओं को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित कराने के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

58. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन एवं आवश्यक सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में 740 करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव है।

## कौशल विकास

59. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्रों को रोजगार का बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय Placement Cell का गठन किया जायेगा।

60. Skill Development Mission के विस्तार एवं अन्वेषण के लिए बड़े संस्थानों को मिशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जायेगा एवं इन्हें तकनीकी एवं वित्तीय सहायता भी प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

61. महाविद्यालयों में B.Voc डिग्री पाठ्यक्रमों के माध्यम से नये Vocational Courses प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है।

## स्वास्थ्य

62. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार द्वारा राज्य की आम जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में राज्य के सभी बी०पी०एल० परिवारों के अतिरिक्त अन्य ए०पी०एल० परिवारों को भी (राज्य एवं केन्द्र सरकार के नियमित कर्मियों को छोड़कर) आयुष्मान भारत योजना के अनुरूप 05 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा राज्य योजना मद से कराये जाने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त शामिल किये जाने वाले परिवारों के लिए 01 लाख रुपये तक की राशि का वहन बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा। चिकित्सा में 01 लाख रुपये से अधिक एवं 05 लाख रुपये तक की राशि में से 50 प्रतिशत राशि लाभुक परिवारों द्वारा ईलाज के उपरांत अस्पताल को Discharge के पूर्व भुगतान की जायेगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों को भुगतान की जायेगी। इस तरह राज्य की 92 प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित हो जायेगी।

63. **अध्यक्ष महोदय,** माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 08 लाख रुपये वार्षिक आय तक के सभी परिवारों को देश के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में कैंसर, किडनी एवं गंभीर लीवर रोग के ईलाज की सुविधा मुहैय्या करायी जायेगी एवं ईलाज पर होने वाले पूरे खर्च का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा।

64. राज्य के सभी ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों यथा– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों (HSC) को हेल्थ एवं वेलनेस केन्द्रों (HWC's) के रुप में उत्क्रमित किया जाना है। आगामी वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 1,092 स्वास्थ्य उप केन्द्रों (HSCs) को हेल्थ एवं वेलनेस केन्द्रों

(HWC's) के रुप में उत्क्रमित किये जाने का लक्ष्य है, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आम जन–मानस को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।

65. राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सेवाओं को दूरस्थ एवं **आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सुनिश्चित करने हेतु वहाँ पदस्थापित चिकित्सकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिये जाने का प्रस्ताव है। तत्काल प्रत्येक विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिमाह 40 हजार रुपये, अन्य चिकित्सकों को प्रतिमाह 25 हजार रुपये वित्तीय लाभ** दिये जाने का प्रस्ताव है। यह वित्तीय लाभ उनके उक्त क्षेत्र में आवासन करने एवं निर्धारित मूल्यांकन के बिन्दुओं पर आधारित होगा। ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों की सूची राज्य सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित की जायेगी।

66. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुशल नर्सिंग बल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी संस्थानों को नर्सिंग विद्यालय खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य सरकार ने वर्त्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों, जिनमें पूर्व से **सरकारी नर्सिंग स्कूल संचालित** नहीं है, में आगामी वित्तीय वर्ष में लोहरदगा, गढ़वा, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, बोकारो, खूँटी एवं रामगढ़ में नर्सिंग स्कूलों के संचालित करने का लक्ष्य है। उक्त सभी नर्सिंग स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा स्वयं अथवा पी०पी०पी० मोड पर संचालित किया जायेगा।

67. सभी जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पी०पी०पी० मोड पर डायलिसिस केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत 10 जिलों में डायलिसिस केन्द्र संचालित हैं तथा शेष 14 जिलों में डायलिसिस केन्द्र क्रियान्वित किये जायेंगे।

68. रिनपास परिसर, काँके, राँची में टाटा ट्रस्ट के द्वारा **कैन्सर केयर केन्द्र** खोलने हेतु राज्य सरकार एवं टाटा ट्रस्ट के बीच एकरारनामा किया गया है। इसके तहत 300

शय्या वाले विश्वस्तरीय कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें से 100 शय्या का अस्पताल आगामी वित्तीय वर्ष तक संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है।

69. शहरी क्षेत्र के स्लम क्षेत्रों में **कुल 100 मुहल्ला क्लीनिक की योजना** का संचालन किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में इसे और भी व्यापक बनाये जाने का प्रस्ताव है।

70. Pilot Project के तहत राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों के एक–एक प्रखण्ड के हाट/बाजारों में चलंत क्लिीनिक के माध्यम से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी।

## उद्योग

71. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2020–21 में लगभग 3,000 बुनकरो/रीलरों एवं सूतकातकों को रोजगार देने तथा 2,000 शिल्पकारों को उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य है।

72. झारखण्ड राज्य में 120 प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियाँ, 43 हस्तकरघा क्लस्टर एवं 133 कार्यरत हस्तकरघा ग्रुप को सुदृढ़ करने की योजना है।

73. आगामी वित्तीय वर्ष में हस्तशिल्प संसाधन केन्द्रों में विभिन्न हस्तशिल्प प्रक्षेत्र में लगभग 1,020 हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण एवं लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

74. झारखण्ड राज्य तसर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। आगामी वित्तीय वर्ष में रीलिंग स्पीनिंग से संबंधित योजनाओं को संचालित कर 3,000 मीट्रिक टन तसर रेशम के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

75. झारखण्ड गर्वमेंट मिनी टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेन्टर, राँची, गर्वमेंट टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, दुमका के द्वारा स्थानीय एवं ग्रामीण उद्योगों को उन्नत तकनीक एवं उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।

76. भारत सरकार के सहयोग से नगड़ी, राँची में सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी के संचालन हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में राशि का उपबंध किया जा रहा है।

77. स्टार्टअप कैपिटल भेन्चर फण्ड योजना के तहत MSME, IT, Bio-technology, Energy, Clean-technology इत्यादि प्रक्षेत्र के प्रमोशन एवं अनुसंधान कार्य किये जा सकेंगे। जिडको (Jharkhand Industrial Infrastructure Development Corporation) के माध्यम से प्लास्टिक पार्क, देवघर की स्थापना निमित्त राशि का उपबंध भी किया जा रहा है।

78. नये उद्योग स्थापित करने हेतु झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) अंतर्गत आधारभूत संरचना का निर्माण किया जायेगा।

79. सिंगल विण्डो सिस्टम योजना के अंतर्गत पूँजी निवेश हेतु औद्योगिक प्रस्तावों के त्वरित निष्पादन किये जाने की योजना है।

80. Electronic Manufacturing Cluster योजना के तहत आयडा क्षेत्र अंतर्गत MSME Cluster के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में राशि का उपबंध किया जा रहा है।

## पर्यटन

81. **अध्यक्ष महोदय,** माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटन के साथ–साथ आदिवासी संस्कृति एवं उनकी आजीविका को प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य में पर्यटन के माध्यम से राज्य के पर्यटन क्षेत्रों में आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में 50,000 रोजगार/स्वरोजगार सृजित किये जाने का लक्ष्य है।

82. भारत सरकार के द्वारा धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रसाद योजना अन्तर्गत देवघर के विकास कार्य की स्वीकृति 39 करोड़ रुपये की लागत से प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत काँवरिया पथ में Spiritual Congregation Hall का निर्माण, शिवगंगा के पास Control & Command Centre का निर्माण, शिवगंगा तालाब तथा बैद्यनाथ मंदिर के पास की गलियों का सौन्दर्यीकरण एवं देवघर आने वाले मार्गों पर भव्य स्वागत द्वार के निर्माण का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है।

83. दलमा–चांडिल–गेतलसूद–नेतरहाट–बेतला ईको टूरिज़्म सर्किट के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से 52.72 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस सर्किट अन्तर्गत दलमा, चांडिल डैम, गेतलसूद डैम, नेतरहाट एवं बेतला में पर्यटक सुविधा हेतु निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

84. ईटखोरी को वृहद् पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कार्य योजना में वन अनापत्ति प्राप्त कर इसे वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित कराये जाने का प्रस्ताव है।

85. लुगुबुरू, बोकारो की महत्ता को देखते हुए यहाँ स्थल सौन्दर्यीकरण कार्य को वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण कराये जाने का प्रस्ताव है।

86. दुमका में म्यूजियम निर्माण कार्य को वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

87. राँची जिलान्तर्गत हटिया डैम के पास स्थित पार्क को जनजातीय थीम पार्क के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है।

88. लातेहार जिलान्तर्गत नेतरहाट में शैले हाउस को म्यूजियम के रूप में विकास करना प्रस्तावित है।

89. ईटखोरी महोत्सव, बैद्यनाथ महोत्सव, लुगुबुरू महोत्सव, छऊ महोत्सव, रजरप्पा महोत्सव आयोजित कराने की योजना है।

90. विभिन्न माध्यमों से झारखण्ड पर्यटन का व्यापक प्रचार–प्रसार कराने की योजना है।

91. **मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनान्तर्गत** राज्य के बी०पी०एल० श्रेणी के बुजुर्ग लोगों (Senior Citizen) को धार्मिक स्थलों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराये जाने की योजना आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी।

92. **कैलाश–मानसरोवर तीर्थ यात्रा** पर जाने–वाले राज्य के 08 लाख रुपये सकल वार्षिक आय तक के 100 स्थानीय निवासियों को ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर 01–01 लाख रुपये की सब्सिडी देना प्रस्तावित है।

93. साहसिक पर्यटन गतिविधियों के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन उपलब्धता हेतु राज्य के इच्छुक लोगों को NIWS (National Institute of Water Sports), गोवा के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

## खेलकूद

94. **अध्यक्ष महोदय,** युवाओं के समेकित विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर स्टेडियम, खेलकूद सामग्री एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। पंचायतों में नागरिक सुविधाओं के साथ–साथ स्टेडियम निर्माण का भी सरकार का लक्ष्य है।

95. राज्य में खेलकूद के प्रशिक्षण हेतु 36 आवासीय एवं 86 दिवा–प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है, जिसमें लगभग 3,000 प्रशिक्षु खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। आगामी वित्तीय वर्ष में इन प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जायेगी, जो

इंटरनेट की सुविधा से लैस होंगे। सभी प्रशिक्षु खिलाड़ियों हेतु उच्च गुणवत्ता के खेलकिट एवं सामग्री उपलब्ध कराने तथा नये खेल छात्रावासों का निर्माण किये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।

96. झारखण्ड राज्य में बड़े स्तर के खेल यथा– खेलो इण्डिया आदि के लिए खिलाड़ियों की खोज हेतु विशेष अभियान चलाया जायेगा।

97. राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों व जिला स्तर के बड़े स्टेडियम में एथलेटिक ट्रैक एवं एस्ट्रोटर्फ अधिष्ठापन का कार्य कराया जायेगा, ताकि खिलाड़ी अत्याधुनिक खेल संरचना में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

98. राज्य में खेल प्रवृत्ति को बढ़ावा देने एवं अच्छे स्वास्थ्य के निमित्त फिट इण्डिया अभियान चलाया जायेगा, जिसके तहत जिम एवं प्रशिक्षक की व्यवस्था के साथ–साथ राँची हॉफ मैराथन (RAN-O-THON) का आयोजन किया जायेगा, ताकि खिलाड़ियों के साथ–साथ आमजन भी फिट एवं स्वस्थ्य रह सकें।

## संस्कृति प्रक्षेत्र

99. राज्य की विभिन्न गैर सरकारी संस्थान, जो संस्कृति संवर्धन के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं, को अनुदान राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

100. राज्य के 09 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं यथा– नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, हो, संथाली, कुड़ुख, मुण्डारी, खड़िया एवं पंचपरगनिया भाषाओं हेतु एक–एक भाषा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

101. बुजुर्ग एवं बीमार कलाकार, जो अब अपनी कला का प्रदर्शन करने में अक्षम हैं, को मासिक पेंशन प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

102. राज्य के विभिन्न वास्तविक वैसे संस्कृति शोध लेख, जो अभी तक अप्रकाशित हैं, को प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

103. राज्य संग्रहालय, राँची में नयी गैलरी अधिष्ठापित किये जाने का भी प्रस्ताव है।

104. टैगोर हिल, राँची में विभिन्न संरचनात्मक उन्नयन कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है। साथ ही वहाँ एक संग्रहालय की स्थापना भी प्रस्तावित है।

## महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

105. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी वृद्धावस्था पेंशन स्कीम संचालित की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं राज्य विधवा पेंशन योजना, आदिम जनजातियों की पेंशन योजना, निःशक्तता पेंशन योजना आदि विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 2,599.19 करोड़ रुपये समाज के वंचित वर्गों के बीच डी०बी०टी० के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

106. आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1.40 लाख लाभुकों को लाभ प्रदान किया जायेगा।

107. **तेजस्विनी परियोजना** के अन्तर्गत राज्य के 17 जिलों में लगभग 12,500 तेजस्विनी केन्द्रों को सूत्रित करते हुये लगभग 10 लाख किशोरियों एवं युवतियों को रचनात्मक विकास यात्रा में सम्मिलित करने का प्रयास किया जायेगा। 50 हजार किशोरियों को अनौपचारिक शिक्षा एवं 02 लाख किशोरी युवतियों को कौशल विकास से जोड़ा जायेगा।

108. वर्ष 2020–21 में इन तेजस्विनी क्लबों से जुड़ने वाली लगभग 10 लाख किशोरियों एवं युवतियों के सामाजिक सशक्तिकरण हेतु विस्तृत जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान की जायेगी।

## अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

109. **अध्यक्ष महोदय,** अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित 143 आवासीय विद्यालयों में 07 एकलव्य तथा 11 आश्रम विद्यालय हैं। वर्ष 2020–21 में 13 नये एकलव्य विद्यालय प्रारम्भ किये जायेंगे।

110. शहीद ग्राम विकास योजना के तहत अंग्रेजों से लड़ते हुए जनजातीय समुदाय के वीर शहीदों के गाँव का सर्वांगीण विकास करना हमारा उद्देश्य है। डॉ० राम दयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची हमारे ऐसे वीर शहीदों के गाँवों को चिन्हित कर रहा है।

111. भगवान बिरसा मुण्डा की स्मृति में राँची जिला में अवस्थित 150 वर्ष पुराने बिरसा मुण्डा सेन्ट्रल जेल को राष्ट्रीय स्तर का संग्राहलय के रूप में विकसित एवं संरक्षित करने हेतु कुल 25 करोड़ रुपये की परियोजना राशि का कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जायेगा।

112. Targeting the Hardcore Poor (THP) के तहत संथाल परगना के 5,000 PVTG परिवारों को गरीबी की जटिलता से बाहर निकालने का कार्य वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण किया जायेगा। झारखण्ड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र के 1,790 आदिवासी बाहुल्य गाँवों में निवासरत 2.18 लाख जनजातीय परिवारों का सशक्तिकरण एवं आजीविका सम्वर्धन किया जायेगा।

113. विभाग की Special Purpose Vehicle प्रेझा फाउण्डेशन (PanIIT Alumni Reach for Jharkhand) के माध्यम से राज्य में कल्याण गुरुकुल, नर्सिंग कौशल कॉलेज तथा ITI कौशल कॉलेज संचालित हैं। वर्ष 2020 से लातेहार और

जामताड़ा जिला में नर्सिंग कॉलेज प्रारम्भ किया जायेगा। Vocationalization of Education के तहत कौशल विकास को और अधिक व्यापक बनाने और रोजगारोन्मुख करने के लिए कौशल विद्या अकादमी प्रारम्भ की जायेगी।

114. वनाधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक पट्टा निर्गत करने तथा उस क्षेत्र में आजीविका प्रबंधन और उनके सम्वर्धन का कार्य भी किया जायेगा।

## पेयजल एवं स्वच्छता

115. **अध्यक्ष महोदय,** भारत सरकार द्वारा संपोषित जल जीवन मिशन अंतर्गत सभी घरों को Functional House Hold Tap Connection (FHTC) से आच्छादित किया जाना है। वर्त्तमान में लगभग 03 लाख घरों को FHTC से आच्छादित किया जा चुका है, इसे अगले वर्ष बढ़ाकर 10 लाख करने का लक्ष्य है।

116. **अध्यक्ष महोदय,** माननीय विधायकों की अनुशंसा पर आगामी वित्तीय वर्ष में प्रति पंचायत 05 चापाकल का अधिष्ठापन अथवा कुएँ का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। चापाकल/कुएँ के निर्माण हेतु कुल 200 करोड़ रुपये राशि का बजट में प्रावधान किया गया है।

117. वर्ष 2019–20 में निर्माणाधीन 255 वृहद् ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में 51 योजनायें अबतक पूर्ण कर ली गई हैं। इसी प्रकार 14,637 निर्माणाधीन मिनी जलापूर्ति योजनाओं में से 3,390 योजनायें पूर्ण कर ली गई हैं, शेष कार्याधीन योजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

118. राज्य के सभी Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) के 2,251 टोलों में सौर ऊर्जा आधारित मिनी जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 741 योजनायें अबतक पूर्ण कर ली गई हैं। अवशेष बची योजनायें आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

119. मुख्यमंत्री जन जल योजना के अंतर्गत राज्य के SC/ST बाहुल्य टोलों में कुल 12,386 सौर ऊर्जा आधारित निर्माणाधीन मिनी जलापूर्ति योजनाओं में से आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्व की लंबित 4,408 योजनाओं को पूर्ण कर लिये जाने का प्रस्ताव है।

120. राज्य के फ्लोराईड एवं आर्सेनिक प्रभावित जिलों के 223 टोलों में Electro Defluoridation Plant (EDF) एवं Arsenic Removal Plant को अधिष्ठापित करने के कार्य को वर्ष 2020–21 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

121. जल गुणवत्ता की सतत् निगरानी हेतु जलसहिया के सहयोग से राज्य की विभिन्न पंचायतों में लगभग डेढ़ लाख जलस्रोतों की जाँच FTK के माध्यम से वर्ष 2020–21 में कराने का लक्ष्य है।

## शहरी विकास

122. **अध्यक्ष महोदय,** शहरी क्षेत्र विकास का इंजन है, राज्य में गठित कुल 51 नगर निकायों में रह रहे लोगों को शुद्ध पेयजल, साफ–सफाई, शहरी परिवहन, आवास जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

123. राज्य सरकार वर्ष 2024 तक सभी शहरी क्षेत्रों में रह रहे परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए 19 नगर निकायों में शहरी जलापूर्ति योजनाएँ चल रही हैं, जिन्हें पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

124. Solid Waste Management हेतु 15 नगर निकायों यथा– गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, चाकुलिया, बुण्डू, चिरकुण्डा, सरायकेला, गढ़वा, पाकुड़, झुमरीतिलैया एवं कोडरमा कलस्टर, खूँटी, लातेहार, साहेबगंज एवं राजमहल कलस्टर का प्लांट वित्तीय वर्ष 2020–21 में चालू किया जायेगा।

125. शहरी परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए राँची के साथ–साथ धनबाद एवं जमशेदपुर में PPP Mode पर अन्तर्राज्यीय बस अड्डा तथा राँची एवं धनबाद में ट्रान्सपोर्ट नगर एवं अन्य स्थानों पर पार्किंग एवं वेण्डर मार्केट के निर्माण का प्रस्ताव है।

126. राज्य सरकार प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सभी सुयोग्य लाभुकों को वर्ष 2022 तक पक्के घर उपलब्ध करायेगी, इसके लिए अबतक कुल 1,88,758 घरों की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में लगभग 40 हजार घरों की स्वीकृति दी जायेगी और Affordable Housing के तहत ऐसे लोगों को घर उपलब्ध कराया जायेगा, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है।

127. बाबा नगरी देवघर में अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। इसके साथ शेष 05 शहरों में आधुनिक बस पड़ाव का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

128. आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में मेदिनीनगर, गढ़वा, साहेबगंज, दुमका, चाईबासा, देवघर एवं गिरिडीह शहरों के समेकित विकास पर विशेष बल दिया जायेगा, ताकि इन शहरों का विकास राष्ट्रीय स्तर का हो सके। इन शहरों में जलापूर्ति, सड़कों का चौड़ीकरण, स्वास्थ्य सुविधायें, अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड एवं परिवहन सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

## परिवहन

129. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में ली गई छः रेल परियोजनाओं के दायित्वों के निबटारे हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 264.59 करोड़ रुपये की राशि का उपबंध किया गया है। साथ ही **गोड्डा–पोड़ैयाहाट रेल परियोजना** हेतु 51.24 करोड़ रुपये की राशि का उपबंध किया गया है।

130. जमशेदपुर जिले में टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ Joint Venture के माध्यम से **Institute of Driving Training and Research (IDTR)** में प्रशिक्षण सत्र आगामी वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है।

131. **अध्यक्ष महोदय,** माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई योजना **"झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, 2020"** लागू किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के तहत ब्याज सब्सिडी दिये जाने का प्रस्ताव है।

132. देवघर हवाई अड्डा से विमानों का परिचालन आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कर दिये जाने का लक्ष्य है।

133. दुमका में PPP Model पर Commercial Pilot License (CPL) प्रशिक्षण केंद्र हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण का कार्य चल रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर DGCA, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर प्रशिक्षण प्रारम्भ करने का लक्ष्य है।

134. दुमका तथा बोकारो से **RCS-उड़ान** योजना के तहत नियमित उड़ान सेवा हेतु दोनों हवाई अड्डा तैयार करने का लक्ष्य है। हवाई अड्डों की Licensing के उपरांत दुमका से कोलकाता, पटना एवं राँची के लिए तथा बोकारो से कोलकाता एवं पटना के लिए सेवायें आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है।

135. बिरसा मुण्डा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण परियोजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 301.12 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध करायी

जायेगी, जिसपर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नए टर्मिनल भवन, कार पार्किंग आदि अन्य एयरपोर्ट सुविधाओं का निर्माण करने के साथ–साथ रनवे की लम्बाई को 9,000 फीट से बढ़ाकर 12,000 फीट तक किया जायेगा। यह कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है।

## राजकीय एवं जिला पथ

136. **अध्यक्ष महोदय,** प्रमुख शहरों में जाम की समस्या से निजात के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में गुमला एवं लोहरदगा शहरों का बायपास पथ बनाये जाने की योजना है।

137. एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण से Jharkhand State Road Project–II के अन्तर्गत लगभग 177 कि०मी० का कार्य कराया जा रहा है। इनमें दुमका–हंसडीहा पथ, गिरिडीह–जमुआ–चतरो–सरवन पथ, गिरिडीह–टुण्डी पथ तथा खूँटी–तमाड़ पथ सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं को आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

138. राज्य के प्रमुख पथों के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए पथ निर्माण विभाग को आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 3,384 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

## ग्रामीण पथ

139. **अध्यक्ष महोदय,** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्त्तमान में कुल 1,284 योजनाओं पर कार्य हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 2,000 कि०मी० पथ पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना में कुल 1,000 करोड़ रुपये की राशि का उपबंध किया गया है।

140. **राज्य संपोषित योजना** के तहत वर्त्तमान में कुल 1,227 योजनायें चल रही हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपये का व्यय करते हुए लगभग 2,000 कि०मी० पूरा कराने का लक्ष्य है।

141. मुख्यमंत्री ग्रामसेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 200 करोड़ रुपये का व्यय कर 75 पुलों का निर्माण कार्य कराने का लक्ष्य है।

## ऊर्जा

142. **अध्यक्ष महोदय,** किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ निर्बाध विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करना आवश्यक है। विगत् वर्षों में सरकार के द्वारा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड कम्पनी को उदय योजना के माध्यम से 5,553 करोड़ रुपये की राशि मुहैय्या कराई गई तथा हर वर्ष बजट के माध्यम से काफी बड़ी राशि उपलब्ध करायी जाती रही है, लेकिन इसके बावजूद AT&C Losses कम होने के बजाय बढ़ा है। अतः बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

अतः प्रस्ताव है कि ग्रिड से लेकर ट्रांसफार्मर एवं उपभोक्ता के स्तर तक स्मार्ट मीटरिंग की व्यवस्था की जाय एवं इसके लिए नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाय। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में 300 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

143. राज्य में ग्रिड, सब–स्टेशन, संचरण प्रणाली एवं अन्य विद्युतीकरण के कार्य कराये जा रहे हैं। राज्य सरकार इन सभी की आवश्यकताओं का एक समेकित रूप से सर्वेक्षण कराकर आवश्यक कार्य कराने का विचार रखती है, ताकि योजनाओं में किसी प्रकार का डुप्लीकेशन नहीं हो एवं अलाभकारी योजनाओं पर अपव्यय नहीं हो।

144. **अध्यक्ष महोदय,** सरकार के द्वारा 300 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उपबंध आगामी वित्तीय वर्ष में किया गया है।

145. विश्व बैंक से ऋण लेकर चालू संचरण परियोजना के अन्तर्गत कई ग्रिड सब–स्टेशनों तथा संबंधित संचरण लाईनों का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना की कुल लागत 2,656 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस कार्य हेतु विश्व बैंक से 400 करोड़ रुपये ऋण स्वरूप प्राप्त कर व्यय करने का प्रस्ताव है।

146. आगामी वित्तीय वर्ष में ट्रांस्फार्मर में एबी स्वीच अधिष्ठापन, अंकेक्षण फीडर मीटर तथा वार्षिक विकास योजना के विभिन्न कार्यों हेतु कुल 290 करोड़ रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

147. **अध्यक्ष महोदय,** सरकारी कार्यालयों/भवनों पर लम्बित विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु 800 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जिससे सरकार के विभिन्न कार्यालयों में लंबित विद्युत विपत्रों का पूर्ण भुगतान अद्यतन रूप से एवं समेकित रूप से हो जाय।

148. ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

149. केन्द्र प्रायोजित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना (DDUGJY) जो मार्च, 2017 से आरम्भ हुई, के तहत 33 के०वी० एवं 11 के०वी० की नई लाईन तथा पावर सब–स्टेशन, ट्रांसफार्मर, केबलिंग के माध्यम से गाँवों में गहन विद्युतीकरण के कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में 250 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

150. Integrated Power Development Scheme की कुल प्राक्कलित राशि 755.49 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत विद्युत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण,

24x7 विद्युत आपूर्ति एवं AT&C घाटे को कम करना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में 100 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।

151. World Bank सम्पोषित झारखण्ड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (JPSIP) की कुल प्राक्कलित राशि 449.20 करोड़ रुपये है, जिसमें विश्व बैंक का ऋण 160 करोड़ रुपये, केन्द्र सरकार का अनुदान 96 करोड़ रुपये एवं राज्य सरकार का अनुदान 193.20 करोड़ रुपये है। इस योजना का उद्देश्य समग्र आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, प्रक्रिया दक्षता में सुधार तथा डेटा विसंगतियों को कम करना है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2020–21 में 130 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

## ज्रेडा

152. आगामी वित्तीय वर्ष में केन्द्र प्रायोजित कुसुम योजना के अन्तर्गत राज्य के 10,000 किसानों को सिंचाई कार्य हेतु अनुदानित दर पर सोलर पम्पसेट उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही राज्य में 11,000 अदद् सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन भी कराया जायेगा।

153. आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य में फल, सब्जी, फूलों के भण्डारण हेतु 05 मीट्रिक टन क्षमता के कुल 24 सोलर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जायेगा। व्यक्तिगत/संस्थाओं/छात्रावासों आदि में अनुदानित दर पर कुल मिलाकर 02 लाख लीटर क्षमता का सोलर गर्म जल संयंत्र का अधिष्ठापन कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ज्रेडा मद में कुल 150 करोड़ रुपये का उपबंध प्रस्तावित है।

## खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

154. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार राशन कार्ड से वंचित 50 वर्ष से उपर के 10 लाख लोगों को अतिरिक्त राशन मुहैय्या कराये जाने की योजना वित्तीय वर्ष 2020–21

से प्रारम्भ कर रही है, जिस पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में 187 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

155. खाद्यान्न सामग्रियों के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों में GPS लगाया जायेगा, ताकि खाद्यान्न परिवहन नियंत्रित रहे। साथ ही PDS दुकानों में खाद्यान्न पहुँचने पर मोबाईल पर SMS alert की व्यवस्था की जायेगी।

156. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (PVTG डाकिया योजना) के अन्तर्गत आच्छादित सभी 73,386 आदिम जनजाति परिवारों को उनके निवास स्थान तक 35 किलोग्राम चावल का पैकेट मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना को आगामी वित्तीय वर्ष में भी चालू रखने का प्रस्ताव है।

157. **मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के अन्तर्गत** राज्य के स्वीकृत 377 दाल–भात केन्द्रों पर 05 रुपये की दर से गरीब व्यक्तियों को एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इन केन्द्रों को अधिक व्यवस्थित करते हुए एवं इनका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर भी करने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रुपये के उपबंध के साथ **मुख्यमंत्री कैंटीन योजना** प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है।

158. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थ योजना के कुल लगभग 57 लाख परिवारों को खाद्यान्न के अतिरिक्त **लुंगी, धोती एवं साड़ी** अनुदानित दर पर वितरित किये जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

159. राज्य के सभी जिलों में DBT के माध्यम से किरासन तेल के अनुदान की राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित करायी जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक किरासन तेल की उपलब्धता एवं वितरण सुनिश्चित करने

के लिए राज्य सरकार एक महती योजना प्रारम्भ करने का विचार करती है, जिसके तहत लाभुकों को भेण्डरों के माध्यम से किरासन तेल आपूर्त्ति की जायेगी।

160. राज्य के किसानों को खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने एवं कृषि को लाभपरक बनाने के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से धान की अधिप्राप्ति पर 185 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जायेगा।

161. शिकायतों के निवारण एवं अनुश्रवण के लिए राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। साथ ही राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन एवं विभागीय जन शिकायत प्रबंधन प्रणाली हेतु हेल्पलाईन नम्बर अधिष्ठापित किया गया है।

## वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

162. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य की अद्वितीय प्रकृति संरक्षण संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के प्रमुख प्रकृति पर्व ''करमा'' को करमा महोत्सव के रूप में मनाते हुए विलुप्तप्राय करम प्रजाति के वृक्षों का वृहद वृक्षारोपण आगामी वित्तीय वर्ष से कराये जाने की योजना है।

163. वित्तीय वर्ष 2020–21 में कैम्पा, सिल्वीकल्चर, वन क्षेत्र से बाहर की भूमि पर वनरोपण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल करते हुए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए कुल 550 करोड़ रुपये की राशि का उपबंध प्रस्तावित है।

## श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण

164. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में 146 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है। राज्य के वैसे स्नातक/स्नातकोत्तर

बेरोजगार युवक, जिन्होंने विगत् तीन वर्षों के अन्दर डिग्री प्राप्त की है एवं जो राज्य के नियोजनालयों में निबंधित हैं और प्रयास करने के बावजूद बेरोजगार हैं, उन स्नातक/स्नातकोत्तर युवकों को दो वर्षों के लिए क्रमशः 5,000 रुपये तथा 7,000 रुपये प्रतिवर्ष सहायता राशि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

165. राज्य के युवक/युवतियों को रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ–साथ कैरियर काउन्सेलिंग के माध्यम से रोजगार क्षमता अभिवर्द्धन के उद्देश्य से राज्य के जिला नियोजनालयों को मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।

166. अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र में नियोजनालय पंजीयन संख्या अंकित करने का प्रावधान अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। साथ ही हर नियोजनालय में उसके कार्य क्षेत्र के स्थानीय युवकों/युवतियों को ही पंजीकृत करने का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है।

167. राज्य में 59 ITI हैं, जिसमें वर्त्तमान में लगभग 4,500 छात्र/छात्राओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार इन सभी ITI के आधारभूत संरचनाओं एवं इनके मशीन/उपकरणों में व्यापक सुधार करने, प्रासंगिक एवं आधुनिक ट्रेडों को शामिल करने, योग्य फैकल्टी के प्रावधान के साथ–साथ ट्रेडवार प्रशिक्षण अवधि का पुननिर्धारण कर छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षित करना चाहती है। इसके लिए कुल 192.78 करोड़ रुपये की राशि का उपबंध प्रस्तावित है। राज्य योजना के अन्तर्गत निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों को पी०पी०पी० मोड पर संचालित करने के लिए 07 प्रतिष्ठानों के साथ एम०ओ०ए० किया गया है।

168. राज्य के उग्रवाद प्रभावित (LWE) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत छः नये जिलों का चयन करते हुए एक–एक

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। आगामी वित्तीय वर्ष में इन संस्थानों में प्रशिक्षण कार्य चलाने का लक्ष्य रखा गया है।

## विधि व्यवस्था एवं संवेदनशील प्रशासन

169. **अध्यक्ष महोदय,** गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय सेक्टर, केन्द्र प्रायोजित तथा राज्य योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में 383.78 करोड़ रुपये की राशि उपबंध करने का प्रस्ताव है।

170. भारत सरकार द्वारा राज्य के 13 अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आकस्मिक प्रकृति की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (Special Central Assistance) नामक योजना वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2019–20 इस योजना का अंतिम वर्ष है। इस वित्तीय वर्ष के अंत में जो राशि प्राप्त होगी, उसका व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 में ही संभव हो सकेगा, जिसके लिए 173.33 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।

171. राज्य के वे युवक जो वामपंथ उग्रवादियों के प्रभाव में आकर भटक गये हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा, ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सकें एवं राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें। जिन इलाकों को उग्रवाद के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है, वहाँ विकास की गति में तेजी लायी जायेगी, ताकि उग्रवाद वहाँ दोबारा पैर नहीं पसार सके। जो इलाके आज भी वामपंथ उग्रवाद से ग्रसित हैं, उन इलाकों को अभियान एवं विकास के माध्यम से वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त कराया जायेगा।

172. पुलिस प्रभाग के लिए राज्य योजना मद में कुल 116.10 करोड़ रुपये की राशि उपबंधित करने का प्रस्ताव है। इस राशि से 223.42 करोड़ रुपये की लागत से

निर्माणाधीन Constable Training School, Musabani को वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण किया जायेगा।

173. Emergency Response Support System (ERSS) परियोजना अंतर्गत पूर्व से क्रियान्वित आपातकालीन सेवा Dial-100 (पुलिस), Dial-101 (अग्निशमन एवं बचाव), Dial-108 (एम्बुलेंस) तथा Dial-181 (महिला एवं बाल सुरक्षा) को एकीकृत कर Dial-112 स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसे वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण रूपेण चालू कर दिया जायेगा, ताकि पीड़ित व्यक्ति Dial-112 द्वारा आकस्मिक सेवा की मदद ले सके।

174. कारा प्रक्षेत्र में राज्य योजना मद अंतर्गत कुल 70 करोड़ रुपये की राशि उपबंधित करने का प्रस्ताव है। राज्य की काराओं में व्याप्त Overcrowding को कम करने एवं नये न्यायालयों के गठन के फलस्वरूप बरही, बंशीधर नगर एवं चक्रधरपुर में नये उपकारा का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। मंडल कारा, सिमडेगा एवं साहेबगंज में निर्माणाधीन 100 बंदी क्षमता के वार्ड का निर्माण कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य है। मंडल कारा, गुमला में निर्माणाधीन 300 बंदी क्षमता वार्ड को भी वर्ष 2020–21 में पूर्ण किया जायेगा।

175. आपदा प्रबंधन प्रभाग के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में सहाय्य एवं बचाव कार्यों के निमित्त कुल 274.90 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

176. राज्य में अभी तक राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) का गठन नहीं हो सका है, जिसके कारण आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए 132 पदों के सृजन की कार्रवाई की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस बल को क्रियाशील करने का लक्ष्य है।

177. झारखण्ड राज्य में प्रति वर्ष बड़ी संख्या में आमजनों की मृत्यु वज्रपात से होती है। वज्रपात से बचाव के लिए झारखण्ड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र द्वारा Geographical Information System (GIS) Portal/Mobile App विकसित किया जायेगा, जिसके द्वारा वज्रपात होने की पूर्व सूचना Location based SMS के माध्यम से आमजनों को दी जायेगी, जिससे वे सुरक्षित स्थान तक पहुँच सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने युवकों को, किसानों को, बेरोजगारों को, श्रमिकों को, खेतिहर मजदूरों जैसे समाज के न्यूनतम पायदान पर खड़ें लोगों को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष 2020–21 का बजट प्रस्ताव गठित किया है। इस क्रम में हमारी यही सोच रही है कि–

सोच बदलो सितारे बदल जायेंगे,
नजर को बदलो नजारे बदल जायेंगे।
कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं,
दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जायेंगे।

**अध्यक्ष महोदय,** वर्त्तमान सरकार का यह प्रथम बजट राज्य की सवा तीन करोड़ जनता के लिए, उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से प्रस्तुत करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। राज्य सरकार का यह सतत् प्रयास रहेगा कि समाज के सभी वर्गों का एवं विशेषकर अभिवंचित समुदाय का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। सदन के समक्ष इसी लक्ष्य के साथ मैं राजस्व व्यय के लिए 73,315.94 करोड़ रुपये तथा पूँजीगत व्यय के लिए 13,054.06 करोड़ रुपये, अर्थात् कुल 86,370 करोड़ रुपये का बजट सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

**जय झारखण्ड।** **जय हिन्द।**